

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन एवं निदेशालय स्थानीय निकाय, जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/17/50-240

दिनांक : 1/2/11

आयुक्त/अधिशिषी अधिकारी,

नगर निगम/परिषद/पालिकाए,

समस्त राजस्थान।

विषय:- पशु कूरता अधिनियम, 1960 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पशु कूरता अधिनियम, 1960 की धारा 3 में निम्नांकित प्रावधान है:-

"Duties of persons having charge of animals: It shall be the duty of every person having the care or charge of any animal to take all reasonable measures to ensure the well-being of such animal and to prevent the infliction upon such animal of unnecessary pain or suffering."

अतएव उक्त प्रावधान अनुसार सभी नगरीय निकायो के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि :-

1. नगर निगम/परिषद/पालिकाओ द्वारा संचालित कांजी हाऊस के प्रभारी अधिकारी एवं कांजी हाऊस में कार्यरत सभी कर्मचारियों को पाबंद करे की वे पशु कूरता अधिनियम, 1960 की धारा 3 की पालना सुनिश्चित करे। यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके लिये वे जिम्मेदार होंगे।
2. शहर में घरों में जिनके द्वारा पशु रखने के लाइसेन्स लिये गये हैं उन्हे भी इस प्रावधान से अवगत कराया जावे और शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे।